28/11/17 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जेबा [illegible] दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–22/20   तारीख रजुः–17.9.2020

उनवान

निजामुदीन पुत्र जाबुदीन जाति मुसलमान निवासी वागुर मौहल्ला ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली (मृतक)

1/1 कुतबुदीन आयु 60 साल
1/2 इकरारमुदीन आयु 50 साल
1/3 करीम आयु 48 साल
1/4 कदीरूदीन आयु 40 साल
1/5 सगीर आयु 35 साल
1/6 शाकिर आयु 30 साल

पुत्रान निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी वागुर मोहल्ला ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली

––**वादीगण**

बनाम

1. स्टेट आफ राज0 जरिये जिला कलेक्टर
2. तहसीलदार होल्डर तहसील करौली जिला करौली राज0

––**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

–::निर्णय::–   दिनांकः– 28/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा करौली में आराजी खसरा नम्बर 2612 रकवा 2 बीघा एव विस्वा जिसका साविक नं0 2145 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा व आराजी ख0न0 2637 रकवा 18 विस्वा जिसका साविक नं0 2166 रकवा 13 विस्वा स्थित है। उक्त आरजीयात [illegible] वल्द अलियार के खाते की थी जो वादी की स्त्री का [illegible] प्रार्थी की स्त्री ने परिवरिश की थी और शादी के बाद प्रार्थी को अपने पा[illegible] रखा था और सं0 2012 से प्रार्थी उक्त आराजीयात को अब्दुल गफूर की ओर से काश्त करता चला आ रहा है। और अब तक वादी का ही कब्जा चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 12:57:56
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

रहा है। अब्दुल गफूर पाकिस्तान चला गया और आराजीयात को वादी को सुपूर्द कर गया था और वादी ही काश्त करता चला आ रहा है वादी ही लगन अदा करता चला आ रहा है। असली खातेदार अब्दुल गफूर था जो पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त आराजी 31/12/75 को एव्वयू करार दे दी गई जो सिवाय चक बिना वादी को सुनवाई का मौका दिये हुये कर दी गई परन्तु वादी लगातार उक्त आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा है जिसकी इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील में हो रहा है। वादी विवादित आरजीयात का लोकल टीनेण्ट है और आराजीयात ऐवेन्यू हो जाने पर परमानैण्टली एलोट कराने का अधिकारी है, जिसके लिये जो भी उचित प्रीमीयम हो अदा करने को तैयार है। टेनेन्सी एक्ट लागू होने से ही वादी खातेदारी ही ओर से काश्त करत चला आ रहा है ऐसी सूरत में वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है परन्तु प्रतिवादी वादी से ट्रेस पासर की सूरत में पैनल्टी वसूल करते चले आ रहे है और कब्जा काश्त में रूकावट डालते हैं। वादी ने उक्त आराजीयात की खातेदारी दर्ज कराने के लिये प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 21–7–95 को दिया जो प्राप्त हो गया मियाद समाप्त होने पर दावा करना आवश्यक हो गया प्रतिवादी का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज फरमाया जावें। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 2612 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नंबर 2145 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 2637 रकबा 18 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नंबर 2166 रकबा 18 बिस्वा स्थित है। यह आराजी संवत 2010 में अब्दुल गफुर वल्द अलियार की खातेदारी की थी। अब्दुल गफुर का पाकिस्तान जाना सही है। अब्दुल गफुर के पाकिस्तान जाने पर जिलाधीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 12:57:56
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

के आदेश कमाक 795 दिनांक 31.12.1975 द्वारा आराजीयात सिवायचक करा दी गई है। अंत दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया विवादित आराजी दर्ज वादपत्र वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

–वादी

2. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह शाकिर पुत्र निजामुद्दीन, सगीर पुत्र निजामुद्दीन, कदीरूदीन पुत्र निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन पुत्री निजामुद्दीन, इकरामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन एवं फजलुद्दीन पुत्र रहमत, करीम पुत्री निजामुद्दीन, महफुज पुत्र शकुर के शपथ पत्र पेश किये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010–13, खसरा परिवर्तनशील संवत 2042, 2048, 2040, नकल नामांतकरण नंबर 227 पेश की है।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

बहस वकील वादी व पैरोकार सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 12:57:56
Reason: SelfAttested

वकील वादी का बहस में कथन है कि कस्बा करौली में आराजी खसरा नम्बर 2612 रकवा 2 बीघा एव विस्वा जिसका साविक नं0 2145 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा व आराजी ख0न0 2637 रकवा 18 विस्वा जिसका साविक नं0 2166 रकवा 13 विस्वा स्थित है। उक्त आरजीयात अब्दुल वल्द अलियार के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खाते की थी जो वादी की स्त्री का खास नाना था उसी ने प्रार्थी की स्त्री ने परिवरिश की थी और शादी के बाद प्रार्थी को अपने पास रखा था और सं0 2012 से प्रार्थी उक्त आराजीयात को अब्दुल गफूर की ओर से काश्त करता चला आ रहा है। और अब तक वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। अब्दुल गफूर पाकिस्तान चला गया और आराजीयात को वादी को सुपूर्द कर गया था और वादी ही काश्त करता चला आ रहा है वादी ही लगन अदा करता चला आ रहा है। असली खातेदार अब्दुल गफूर था जो पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त आराजी 31/12/75 को एव्वयू करार दे दी गई जो सिवाय चक बिना वादी को सुनवाई का मौका दिये हुये कर दी गई परन्तु वादी लगातार उक्त आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा है जिसकी इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील में हो रहा है। वादी विवादित आरजीयात का लोकल टीनेण्ट है और आराजीयात ऐवेन्यू हो जाने पर परमानैण्टली एलोट कराने का अधिकारी है, जिसके लिये जो भी उचित प्रीमीयम हो अदा करने को तैयार है। टेनेन्सी एक्ट लागू होने से ही वादी खातेदारी ही ओर से काश्त करत चला आ रहा है ऐसी सूरत में वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है परन्तु प्रतिवादी वादी से ट्रेस पासर की सूरत में पैनल्टी वसूल करते चले आ रहे है और कब्जा काश्त में रूकावट डालते हैं। वादी ने उक्त आराजीयात की खातेदारी दर्ज कराने के लिये प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 21-7-95 को दिया जो प्राप्त हो गया मियाद समाप्त होने पर दावा करना आवश्यक हो गया प्रतिवादी का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज फरमाया जावें। दावा वादी डिक्री किया जा[illegible]

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि भूमि श्रीमान जि[illegible] कलक्टर, सवाई माधोपुर के आदेश कमांक 795 दिनांक 31.12.1975 [illegible] सवाईचक दर्ज होकर राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है। वादी भूमि पर मात्र अतिकमी रहा है। जिसे भूमि के कब्जे से हर बर्ष किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra[illegible]
Date: 2026.05.01 12:57:56 [illegible]
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर परिवर्तनशील के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादी व पैरोकार का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर वादी ने विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में खसरा परिवर्तनशील संवत 2040, 2042, 2048 पेश की है। जबकि भूमि दिनांक 31.12.1975 को अब्दुल गफुर के पाकिस्तान जाने से सिवायचक दर्ज होकर प्रतिवादीगण राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज है। वादी का कब्जा मात्र 3 वर्ष में एक अतिक्रमी के रूप में रहा है। जिसे हर वर्ष धारा 91 की एल आर एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल किया गया है। वादी खसरा परिवर्तनशील के आधार पर भूमि में खातेदारी घोषणा कराने का हकदार नहीं है। वादी भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा मात्र 3 वष से संवत 2040, 2042, 2048 में बतौर अतिक्रमी रहा है। जिसे प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रत्येक वर्ष में धारा 91 के तहत बेदखल किया जा चुका है। इस आधार पर वादी भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अपने हक में घोषणा खातेदारी कराने का हकदार नहीं है। वादी भूमि का अपने आपको खातेदार काश्तकार साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी घोषणा खातेदारी भूमि सिवायचक राजकीय भूमि होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। ... पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 12:57:56
Reason: SelfAttested

9/11

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)